

डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग दंपति से मांगे 60 लाख

जबलपुर, 18 मार्च. साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख रुपये हड़पने की बड़ी साजिश रची. ठग ने ईडी, सीबीआई अधिकारी बनकर 4 दिनों तक पति-पत्नी को कैद रखा. टेयर फंडिंग, फर्जी ट्रांजेक्शन किए जाने का डर दिखाया. हालांकि गढ़ा पुलिस और बैंक प्रबंधन की सतर्कता से साजिश नाकाम हो गई. कार्रवाई से हाथीताल निवासी पीड़ित परिवार ठगी का शिकार होने से बच गया और पीड़ित परिवार को ठगी के इस जाल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.



तकनीकी कारणों से बची राशि
भयभीत बुजुर्ग दंपति से ठगों ने 60 लाख रुपये की मांग की. डर के मारे दंपति ने 55 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रयास भी किया, लेकिन सीमांत से तकनीकी कारणों से राशि खाते में वापस आ गई. हालांकि, ठगों का दबाव कम नहीं हुआ और वे लगातार पीछा करते रहे.

को पुलिस और सीबीआई सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का बड़े अधिकारी बताते

हुए दंपति को गंभीर कानूनी मामले में फंसने का डर दिखाया. ठगों ने दंपति को डराया कि उनके द्वारा टेयर फंडिंग की गई है जिसके फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाकर डर दिखाते हुए दबाव बनाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया.

दंपति को वीडियो कॉल के जरिए लगातार अपनी निगरानी में रखा और उन्हें किसी से भी बात करने या घर से बाहर निकलने पर जेल भेजने की धमकी दी.

सीडीआर-लोकेशन ट्रेस कर रही पुलिस: मामले को गंभीरता से लेते हुए एस्पपी संपत उपाध्याय ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. गढ़ा पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबरों की सीडीआर और लोकेशन ट्रेसिंग शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल की विशेष टीम को लगाया

जमीन दिलाने के नाम पर 10.82 लाख की धोखाधड़ी

मादौताल थाना क्षेत्र में एक युवक को सस्ती जमीन और भारी मुनाफे का लालच देकर जालसाज ने 10 लाख 82 हजार रुपये ऐंट लिए. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक अभय सिंह मेश्राम पिता स्व. आशीष मेश्राम (28) निवासी समदंडिया आदर्श, चैरीताल की वर्ष 2018 में उनके मामा के मकान निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात लमती, विजयनगर निवासी बबी सिंह से हुई थी. जान-पहचान होने के कारण अभय उस पर भरोसा करने लगा था. मई 2022 में बबी सिंह ने अभय को बताया कि तहसील पाटन के ग्राम बेनीखेड़ा में 1 एकड़ भूमि सस्ते दर पर मिल रही है. आरोपी ने झंसा दिया कि यदि वे इसमें निवेश करते हैं, तो प्लॉटिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. अभय ने अपनी एफडी से मिले पैसे में से 20 लाख रुपये निवेश करने की बात कही. बबी सिंह ने विश्वास जिताने के लिए जमीन का नक्शा, लेआउट प्लान और खसरा-खतौनी के दस्तावेज भी दिखाए.

बैंक में पुलिस की एंट्री और रेस्क्यू

मंगलवार को जब दंपति पुनः एसबीआई शाखा मेडिकल पहुंचे और घबराहट में 55 लाख रुपये ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगे, तब बैंक स्टाफ को संदेह हुआ. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गढ़ा प्रसन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दंपति को बैंक से सीधे थाने लाया और उन्हें शांत कराकर साइबर ठगी के इस नए तरीके के बारे में विस्तार से समझाया. तब जाकर दंपति को समझ आया कि वे किसी कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि शांतिर अपराधियों के जाल में फंसे थे.

एक नजर में



तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
ग्वालियर. श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बाद राहत घोटाले के मामले में बड़ा झटका लगा है. वर्ष 2021 की भीषण बाढ़ के दौरान राहत वितरण में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी तोमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर दी है. श्योपुर में आई बाढ़ के बाद राहत सामग्री और मुआवजे के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं. जज के बाद बड़ीया थाना पुलिस ने इस मामले में तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. कंठ नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया.



होटल और रेस्टोरेट से 22 रसोई गैस सिलेंडर जब्त
जबलपुर. रसोई गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण एवं दुरुपयोग को रोकने के कलेक्टरेट रघुवर सिंह के निर्देशानुसार राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को होटल एवं रेस्टोरेट का आकर विभाग निरीक्षण कर 22 गैस सिलेंडर जब्त किये हैं. कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग की टीमों ने मंगलवार को पाटन में जैन होटल से तीन घरेलू रसोई सिलेंडरों को टयावसायिक इस्तेमाल पाये जाने पर जब्त किया है. इसी प्रकार रांडी तहसील के अंतर्गत कार्यालयिक दंडाधिकारी मौसमी केवट के नेतृत्व में भी कई कार्रवाहियों में लकी किये गए पलेवर से अवैध रूप से भंडारित आठ घरेलू एवं पांच कामर्शियल गैस सिलेंडर तथा इंदिरा मार्केट स्थित श्री कृष्ण वेंज थाली रेस्-रेस्टोरेट से छह घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को टयावसायिक इस्तेमाल करते पाये जाने पर जब्त किया गया है.

हरियाणा और नागपुर से तीन ठगों को उठा लाई पुलिस
जबलपुर. शेयर बाजार में निवेश पर 500 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर शहर को एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से दो और नागपुर जेल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिन्हें शहर लाने के बाद पूछताछ की जा रही है, जिसमें ठगी नेटवर्क से जुड़े नए खुलासे होने की उम्मीद है. विदित हो कि साइबर ठगों ने शहर में महिला को अपने जाल में फंसाने के लिए लुभावने वादे किए थे. आरोपियों ने दबाव किया था कि शेयर बाजार में निवेश करने पर प्रतिदिन 5 का रिटर्न और दीर्घकालिक निवेश पर 500 प्रतिशत तक का मुनाफा मिलेगा. इसके साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फिडल गेन के बहाने और सस्ते दर पर बट्टे ट्रेडिंग में शेयर दिलाने का झंसा देकर महिला से किशतों में कुल 2.27 करोड़ रुपये ऐंट लिए गए. धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़िता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज किया था. एस्पपी क्राइम ब्रांच जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन और उप पुलिस अधीक्षक आइबर अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम की गई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हरियाणा के पानीपत में दबिश दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने कुदूला कि वे फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम से करेंट अकाउंट खुलवाते थे.

दो दिवसीय रायपुर प्रवास
डिप्टी सीएम ने श्रीराम मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

रीवा-रायपुर हवाई सेवा से बढ़ेगी विकास की रफ्तार: शुक्ल

भोपाल, 18 मार्च. मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा-रायपुर के बीच शुरू हुई हवाई सेवा से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी.



श्री शुक्ल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क और रेल के साथ हवाई सेवाओं का बेहतर होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि रीवा से दिल्ली और इंदौर के लिए हवाई सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर

एयरपोर्ट की करोड़ों की जमीन पर कब्जा

इंदौर, 18 मार्च. देवी होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 1.25 लाख वर्गफीट की करोड़ों की जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. जमीन पर प्लॉटिंग का खेल भी किया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है. पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीमांकन, सर्वे और फेंसिंग की तैयारी के साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पुराने टर्मिनल भवन के सामने स्थित करीब 1.25 लाख वर्गफीट जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. द्विवेदी के अनुसार, इस जमीन को पहले कंफार्ड डॉल् से घेरा गया था और यह पंचशील नगर से चौरफिया नगर तक फैली हुई थी. उनका दावा है कि बाजार मूल्य के आधार पर इसकी कीमत करोड़ों रुपये हो सकती है.

एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पुराने टर्मिनल भवन के सामने स्थित करीब 1.25 लाख वर्गफीट जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. द्विवेदी के अनुसार, इस जमीन को पहले कंफार्ड डॉल् से घेरा गया था और यह पंचशील नगर से चौरफिया नगर तक फैली हुई थी. उनका दावा है कि बाजार मूल्य के आधार पर इसकी कीमत करोड़ों रुपये हो सकती है.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक कालोनीअइजर ने कथित रूप से एयरपोर्ट की जमीन को अपने प्लॉट में शामिल कर बेच दिया या किराये पर दे दिया. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, कुछ क्षेत्र सीधे तौर पर एयरपोर्ट की भीम में आते हैं, जबकि कुछ खाली जमीन पीछे की ओर स्थित है, जिसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सीमांकन जरूरी है. साथ ही,

